भाग दो (ब)

प्रस्तर: 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का 2 प्रतिशत ` 39.37 लाख निदेशालय को प्रेषित न किया जाना।

14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि के अंतर्गत 10 प्रतिशत कंटिजेंसी के उपयोग/ व्यय के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त दिशा-निर्देशों के विंदु 10 के अनुसार ज़िला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण, मूल्यांकन, रेपोर्टिग, एवं आडिट कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 तक स्वीकृत/ निर्गत धनराशि का 0.5 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 से स्वीकृत/ निर्गत धनराशि का 2 प्रतिशत राशि निदेशालय को प्रेषित की जानी थी।

कार्यालय ज़िला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी मे 14 वें वित्त आयोग से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में ग्राम पंचायतों को क्रमश: ` 1244.42 एवं 1652.46 की धनराशि निर्गत की गई थी। निर्गत की गयी धनराशि का 0.5 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत निदेशालय को प्रेषित नहीं किया हैं बल्कि कार्यालय के खाते में अवरुद्ध है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	ग्राम पंचायतों को निर्गत धनराशि	प्रतिशत	निदेशालय को भेजी जाने वाली धनराशि
2016-17	1244.42	0.5	6.22
2017-18	1652.46	2	33.05
योग	2896.88		39.27

उपर्युक्त के संबंध लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि कुछ धनराशि ग्राम पंचायतों से प्राप्त हो गयी है एवं शेष धनराशि प्राप्त होने पर पूर्ण धनराशि निदेशालय को प्रेषित कर दी जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि लम्बे समय से इकाई के खाते में पड़ी है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है निर्देशानुसार प्राप्त धनराशि निर्धारित प्रतिशत की दर से धनराशि को वापस किया जाना था।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।